हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, 04 दिसम्बर, 2015को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला-176215 में 11.00बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

04.12.2015/1100/negi/ag/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, लेकिन समय पर बोलिए।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। आज इस शीतकालीन सत्र का अन्तिम दिन है । विधान सभा सचिवालय को मैंने 30 तारीख को नियम-67 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसपर आपने बाद में पहली तारीख को अपनी रूलिंग भी दी । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो शब्दावली थी उसपर आपने अपनी रूलिंग में कहा था कि 4 तारीख को इस पर चर्चा देंगे। लेकिन आज वह चर्चा नहीं लगी है। मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा था कि "प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरूद्ध दिनांक 21.11.2015 को इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में प्रकाशित "Group of Companies with links to Virbhadra Singh, YSR family corners power projects in Karnataka" के कारण सरकारी मशीनरी एवं विकासात्मक कार्यों के ठप होने पर यह सदन तुरन्त चर्चा करें।" आपने इसके ऊपर पहली तारीख को अपनी व्यवस्था दी। जैसे लगातार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप और विधान सभा सचिवालय कह रहे थे। आपने हमारे मुख्य सचेतक, श्री सुरेश भारद्वाज़ जी, उप-सचेतक, श्री रिखी राम कौंडल जी ,तीसरे वर्मा जी इन सभी की अपने चैम्बर में मीटिंग बुलाई। उस समय मैं भी आपको नमस्कार करने हेतु आपके कक्ष में आया था और आपने मुझे भी बिठा लिया था । उस बैठक में महेश्वर सिंह जी भी थे। उस सर्वदलीय बैठक में हमारी चर्चा हुई और आपने यह कहा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा आग्रह किया हम सभी ने उस बात को माना।

श्री शर्मा जी द्वारा जारी...

04.12.2015/1105/SLS-AG-1

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया था और हम सभी ने उस बात को माना। उसके बाद पहली तारीख को आपने यहां सदन शुरू होने पर व्यवस्था दी। आपने कहा कि मैंने अभी पक्ष और विपक्ष की सहमति से जो प्रस्ताव (यानी मेरा, रविन्द्र सिंह का

प्रस्ताव) नियम-67 के अंतर्गत है उसको नियम-13 0के अंतर्गत स्वीकार कर लिया है, उस पर 4 तारीख को चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, आज 4 तारीख है और मैंने जो नियम-67 के अंतर्गत आपको चर्चा हेतु स्थगत प्रस्ताव दिया था, जो चर्चा हम चाहते थे, उस प्रस्ताव की मूल भाषा के पीछे हमारी एक मंशा रही है। उस मंशा को इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने हम लाना चाहते थे। विकास कार्य क्यों ठप्प हैं? इसके पीछे क्या यह बात सही नहीं है कि मुख्य मंत्री महोदय अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, केवल मात्र एक दस्तखत करने के लिए हैलिकॉप्टर से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापिस आते हैं। केवल एक घंटे के लिए दिल्ली जाना, यह सारी बातें व्यवस्था की हैं और अध्यक्ष महोदय, हम सदन में इनके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था देने के उपरांत भी मेरे इस प्रस्ताव को यहां पर स्वीकार नहीं किया ,उलटा आपके सचिवालय ने उस चर्चा को दूसरे माननीय सदस्यों के साथ क्लब कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सब राजनीति के कारण हुआ है। मेरे प्रस्ताव को खत्म करने के लिए यहां जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं ,उनके नाम इसमें जोड़ दिए गए और मेरा नाम भी उनमें शामिल कर दिया गया।

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस प्रस्ताव के ऊपर अविलंब चर्चा की जाए।

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिए और फिर अपनी बात रखिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जिस दिन नियम-67 के अंतर्गत यह प्रस्ताव दिया था मैंने उसी दिन यह प्रस्ताव डिसअलौ कर दिया था। मैंने कहा था कि हम इस चर्चा को किसी दूसरे नियम के अंतर्गत लाएंगे। फिर जब नियम-130 के अंतर्गत आपकी चर्चा आई तो कुछ और लोगों की ओर से चर्चाएं आ गईं। मैंने उन सबको कंबाईंड कर दिया। ...(व्यवधान)... इसमें क्या है? ...(व्यवधान)...

04.12.2015/1105/SLS-AG-2

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो बताया उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे 3 नोटिस थे। पहला नोटिस प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी का था और उसमें अनेक विधायकों का नाम शामिल था। एक मेरे नाम से था जिसमें हमारे अनेक साथियों का नाम था और तीसरा नोटिस श्री रविन्द्र सिंह जी का था। हमने सीधे-सीधे भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा मांगी थी और काम रोको प्रस्ताव दिया था जिसे आपने रिजैक्ट किया। आपने

हमारे दो प्रस्ताव रिजैक्ट किए और रविन्द्र सिंह जी का प्रस्ताव आपने चर्चा के लिए स्वीकार किया था।

अध्यक्ष : आप गलत बोल रहे हैं।

डॉ० राजीव बिन्दल : आपने यह प्रस्ताव सदन के अंदर स्वीकार किया और सदन के अंदर आपने दोनों पक्षों की सहमति के साथ इसमें केवल यही अमैंडमैंट की कि नियम-67 के बजाये नियम-130 के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सदन नहीं चल रहा था और उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से यह फ़ैसला लिया गया था। उस फ़ैसले में हम सब लोग भागीदार थे। आपने इस पीठ के ऊपर बैठकर सदन में यह व्यवस्था दी थी। आज उस व्यवस्था को बदलना इस पीठ और सदन की मर्यादा के पूर्णतया विपरीत है। यह पूरी तरह से breach of trust है जो trust आपके ऊपर सभी सदस्यों ने किया था।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आप रूल पढ़कर नहीं आते जबकि मुझे रूल्ज का पता है। ...(व्यवधान)... Let me say something about what he has said. Let me reply. उसके बाद आप बोलिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम-67 के अंतर्गत जो चर्चा की मांग थी वह मैंने outrightly disallow कर दी थी। वह प्रस्ताव ट्रांसफर कैसे हो सकता है? That text cannot be transferred. नियम-130 के अंतर्गत आपका दूसरा प्रस्ताव था। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जब 30 तारीख को सैसन शुरू हुआ तो यहां पर नियम-67 के अंतर्गत 4-5 प्रस्ताव आए थे। उसमें हम लोगों ने जो सारे प्रस्ताव दिए थे उनके बारे में आपने कहा कि यह नहीं लिए जा सकते और उनको आपने रिजैक्ट कर दिया। लेकिन एक प्रस्ताव जो नियम-67 के अंतर्गत श्री रविन्द्र सिंह जी ने दिया था उसके बारे में आपने कहा कि यह मैंने रिसपौंस के लिए गवर्नमैंट को भेज दिया है। यह सब-कुछ प्रोसीडिंग्ज में आया है और रिकॉर्ड में है।

जारी..श्री गर्ग जी द्वारा

04/12/2015/1110/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज-----क्रमागत

एक प्रस्ताव नियम-67 के अन्तर्गत श्री रविन्द्र सिंह जी ने जो दिया था उसके लिए आपने कहा कि मैंनें सरकार को इसको रेसपॉन्स के लिए भेज दिया है। दूसरे दिन श्री रविन्द्र सिंह जी ने आपसे पूछा कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ जो सरकार को रेसपॉन्स के

लिए भेजा था ,वह प्रस्ताव क्यों नहीं लगा, उसके ऊपर आज चर्चा की जाए। उसके बाद आपने दस मिनट के लिए सदन को स्थगित किया। सदन के स्थगन के बाद आपके चैम्बर में विपक्ष के नेता माननीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी थे, मैं भी था ,माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री रिखी राम कौंडल जी सब आपके चैम्बर में आए। वहां तय हुआ कि यह जो प्रस्ताव श्री रविन्द्र सिंह जी का है और इनकी भाषा में है....

अध्यक्ष **:** ऐसा कोई लैंगुव्एज में नहीं था।

श्री सुरेश भारद्वाज : ऐज़ इट इज़, नियम-67 के बजाय, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा नियम-67 के बजाय नियम-130 में लगेगा और as it is लगेगा और 4 तारीख को लगेगा। वहां पर डिसाइड हो गया था इसीलिए यह कार्य सलाहकार समिति की बैठक में भी नहीं आया क्योंकि इसमें ऑलरेडी सुबह टाईम फिक्स हो गया था।

अध्यक्ष : यह डिसाइड हुआ है।

श्री सुरेश भारद्वाज : आपने उसके बाद, जो श्री रविन्द्र सिंह जी ने यहां आपकी रूलिंग पढ़ी----(व्यवधान)---

संसदीय कार्य मंत्री : प्रस्ताव लगा है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस के सदस्यों को भी प्रस्ताव देने का पूरा अधिकार है। जो कांग्रेस के लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं वे भी चर्चा के लिए सदन में लगने हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं तथ्यों से आज भी एक शब्द आगे-पीछे बोल रहा हूं, तो आप बताएं।---(व्यवधान)---

संसदीय कार्य मंत्री : एक दफा रूलिंग आ गई कि सब-जुडिस मैटर इस सदन में नहीं लगेंगे। सब-जुडिस मैटर पर अध्यक्ष महोदय की रूलिंग आ गई ,विकास पर हम चर्चा के लिए हैं और विकास में चर्चा लगी है, आप चर्चा करें।

अध्यक्ष : मैंने पहले डिसअलॉऊ किया था ,लेकिन किसको मैंने डिसअलॉऊ किया था?

04/12/2015/1110/RG/AG/2

संसदीय कार्य मंत्री : हमारा विपक्ष से आग्रह है कि विकासात्मक कार्यों पर चर्चा लगी हुई है और आप विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करें।--(व्यवधान)--

श्री सुरेश भारद्वाज : जब आप सदन की बात नहीं मानते जो आपने सदन में बोला है, आपने जो रूलिंग दी है यह हॉऊस का ब्रीच ऑफ प्रिवलेज है।---(व्यवधान)--

अध्यक्ष : क्या मैं दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए कभी रोक सकता हूं?

संसदीय कार्य मंत्री : कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने या न करने का या उसे संशोधित करने का अध्यक्ष महोदय को पूरा अधिकार है। कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार करने का भी अध्यक्ष महोदय को अधिकार है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कोई प्रस्ताव नहीं लगेंगे, सत्ता पक्ष का कोई प्रस्ताव नहीं लगेगा। विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के प्रस्ताव लगे हैं ,आप चर्चा करें, हम रात के 12.00 बजे तक चर्चा करने के लिए तैयार हैं।---(व्यवधान)--

(विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहना चाह रहे थे)

अध्यक्ष : कृपया आप मेरी बात सुनिए, आप लोग बैठ जाएं।--(व्यवधान)--आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? I disallow it. ....(Interruption) ....मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। आप लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी से दिनांक 30-11-2015 को नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। मैंने उसे सदन की सहमति से नियम-130 के अन्तर्गत आज चर्चा हेतु स्वीकृत किया है। मैंने उनके प्रस्ताव में जो इन्होंने विकासात्मक कार्यों का जिक्र किया है उसी विषय पर चर्चा निर्धारित की है। विधान सभा प्रक्रिया नियम-296(1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अध्यक्ष अपने विवेक से सूचनाओं को परिचालित करने से पूर्व उनमें संशोधन कर सकता है। इसी अनुसार मैंने प्रस्ताव को संशोधित कर चर्चा हेतु निर्धारित किया है।---(व्यवधान)--

डॉ. राजीव बिन्दल : तब तो इसकी भावना बदल गई।

अध्यक्ष : नहीं, इसकी भावना नहीं बदली है।---(व्यवधान)---प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी आप क्या कहना चाहते हैं?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो व्यक्ति सॉउन्ड सिस्टम को ऑपरेट करता है उसको तुरन्त प्रभाव से बदला जाए। आपकी अनुमति से जब हम बोलना शुरू करते हैं ,तो या तो लाईट दी नहीं जाती या

04/12/2015/1110/RG/AG/3

दी जाती है, तो बीच में बंद कर दी जाती है। जब सत्ता पक्ष से कोई खड़ा होता है ,तो तुरन्त यहां लाईट ऑन कर दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको धन्यवाद दिया था----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

04/12/2015/1115/MS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी-------

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको धन्यवाद दिया था कि हाउस में जो इम्पास क्रिएट हुआ था उसको खत्म करने के लिए आपने प्रथम तारीख को पहली बार कदम उठाया कि 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया अन्यथा ऐसा होता था कि आप सदन की कार्यवाही चलाते रहते थे और किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता था या हाउस एडजॉर्न हो जाता था। आपने कहा कि 10 मिनट में इस गतिरोध को दूर करेंगे। आपने मुझे भी अपने चैम्बर में बुलाया और अन्य साथी भी जैसे कहा गया, साथ गए थे। आपने कहा कि सदन चलना चाहिए। उस समय संसदीय कार्यमंत्री भी वहां मौजूद थे और उसमें वे-आउट यह निकला कि जो बाकी प्रश्नकाल का समय बचा है उसमें प्रश्न हों। आपने रविन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव पर सरकार को कहा था कि इस पर अपना उत्तर दें। आपने पहले रूलिंग दी थी। आप दो बातें कन्फ्यूज कर रहे हैं। आपने मेरा एडजॉर्नमैंट मोशन रद्द किया और मेरे साथियों ने भी दिया था, वह भी रद्द किया। सबके रद्द कर दिए। लेकिन रविन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव पर आपने इसी पीठ से आदेश दिया कि इसको मैं सरकार को भेज रहा हूं। जब इसका उत्तर आएगा तो चर्चा होगी। दूसरे दिन चर्चा करने के बाद आपने और सरकार ने, क्योंकि अगर हमारा कोई प्रतिनिधि आपसे बात करता तो हम उस बात को मानते लेकिन सरकार के संसदीय कार्यमंत्री आए तो हमने माना कि सरकार का यह वायदा है। आपने 4 तारीख के लिए कहा था और आपने तिथि भी तय कर दी और रविन्द्र सिंह जी के नोटिस को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, अब आप ऐसा कह रहे हैं और आपका सचिवालय भी आपको गुमराह करता है। आपको सचिव महोदय ने रूलिंग लिखकर दे दी कि यह आपका अधिकार है कि इसे बदल दें। आपका अधिकार उस दिन भी दिन था जिस दिन हम आपके पास गए थे। बीच में मुख्य मंत्री महोदय अपने को निर्दोष बताने की बात करते रहे कि मेरे खिलाफ सी0बी0आई0 की जांच हो रही है, ई0डी0 की जांच हो रही है और एफ0बी0आई0 से जांच करवा लो। एक व्यक्ति चोरी करने घर में जाता है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है। जो बलात्कार करता है उस पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगता है और अगर

वह कत्ल भी कर देता है तो उस पर कत्ल का भी इल्ज़ाम लगेगा। उस पर तीनों इल्ज़ाम लगेंगे। अगर इन्कम टैक्स की रिटर्न गलत होगी तो इन्कम टैक्स काम करेगा। अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ किया होगा तो पी0सी0 एक्ट लगेगा और अगर मनी लॉंड्रिंग हुई होगी तो फिर उस पर ई0डी0 काम करेगा। अगर एफ0बी0आई0 में आने वाला कोई काम किया होगा तो उसके अनुसार एफ0बी0आई0 भी काम करेगी। लेकिन हम लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं करते थे क्योंकि आपसे एग्रीमैंट था। पीठ का सम्मान करते हुए हमने हर बात सुन ली। इनकी बात रिकॉर्ड में भी आती रही और हमारे खिलाफ बातें होती रहीं। हम इसी इंतज़ार में थे कि जब आज चर्चा होगी तो अपना पक्ष ये भी रखेंगे और हम भी रखेंगे। लेकिन आज आपने आकर सारा बदल दिया। आज के बाद आपने एक नया इतिहास क्रिएट कर दिया। इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि अध्यक्ष महोदय ने कोई समझौता करवाया और उससे अध्यक्ष महोदय ही मुकर जाएंगे।

अध्यक्ष: मैं भी कुछ बोलूं? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आप जरूर बोलिएगा लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। इसलिए मेरे कहने का भाव यह है कि पहली बार आपने एक इतिहास रचा था जब 10मिनट के लिए सदन स्थगित करके और रिजॉल्व करके चलाने का वायदा करवा लिया। अध्यक्ष महोदय, आज आप दिल की गहराइयों से सोचिए, आप दूसरा इतिहास रचने जा रहे हैं। जो बिल्कुल गलत इतिहास होगा। आज पीठ के खिलाफ लोग बात करेंगे। लोग आपकी कुर्सी के खिलाफ बात करेंगे और आपके निर्णय के खिलाफ बात करेंगे। इस बात को कौन बर्दाश्त करेगा और आगे चलकर हमेशा यह कोट होगा। जो बात आपने अपने चैम्बर में भी कही, आपको ध्यान होगा और यहां पीठ से भी आकर अनाऊंस किया कि चर्चा इसी मुद्दे पर होगी।

अध्यक्ष: धूमल जी,.....

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिए। आप बोल लीजिएगा, आपको अधिकार है और जब आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। जो यह नोटिस था

04/12/2015/1115/MS/AS/3

उसकी मूल भावना यह थी कि व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसके कारण विकास के काम बन्द हैं। इन्होंने कहा कि हम विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने कहा कि भ्रष्टाचार पर भी चर्चा करो और विकास पर भी चर्चा करो। आप अपनी

जो बात करनी है करो लेकिन मेरा निवेदन है कि उसी नियम-130 के तहत यह चर्चा अच्छे माहौल में खत्म की जाए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

4/1120/12.2015.**जेके/एजी**/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल:--------**जारी**----------

नियम 130 के अंतर्गत आज अच्छे महौल में खत्म करें क्योंकि वर्ष 2015 के विधान सभा सत्र का यह अन्तिम दिन है। यह बदनामी आपके साथ क्यों जाए? यह बदनामी जाए तो सरकार के साथ जाए। आप अपने सिर पर दोष क्यों ले रहे हैं? वैसे कल मैंने शाम को भी आपको कहा था कि आपने कोई गड़बड़ कर दी है और हमें रास्ते में पता लग गया था। हम अपना वायदा निभाने आपके वहां पर भी पहुंचे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उसी नोटिस को माने और चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष: ऐसा है ,आप प्लीज सुन लें। नियम 67 के अंतर्गत इनका जो प्रस्ताव आया था उसको मैंने डिस्अलाऊ किया था। क्योंकि उसमें 67 में चर्चा नहीं हो सकती थी। हमने फिर यह फैसला किया कि नियम 67 के बजाए किसी अन्य नियम के अन्दर इसको अलाऊ किया जाए। आपने दिया कि भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण जो प्रदेश के विकास कार्य हैं, वे ठप्प हो गए हैं ,ऐसा आपने लिखा था। आपने प्रस्ताव दिया नियम 130 का और उसको मैंने एक्सैप्ट कर लिया। उसमें जो आपने पहली लाईन लिखी थी, मैं उस बारे में आपको शुरू से ही कह रहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में यदि कोई मैटर है, अगर कोर्ट में है या सब-ज्युडिस है उसको यहां चर्चा के लिए मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ऐसा मैंने कहा है।। will not allow this thing. जब भ्रष्टाचार में चर्चा करेंगे तो कोर्ट केस का उसमें जरूर आएगा ।। will not allow that. आप इसके अलावा विकास पर चर्चा करिये कि उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार के ऊपर किसी सबज्युडिस केस में रैफर करेंगे । will disallow it. मेरा आपसे यह निवेदन है और कोई बात नहीं है। मैंने आपको डिसअलाऊ नहीं किया। मैंने इसको करटेल करके मैंने इसमें अपनी पॉवर यूज़ करके नियम 296 (1) में इसको ठीक ढंग से बना दिया है। उस पर आप चर्चा करिए। यह मेरा कहने का मतलब था। अगर आप भ्रष्टाचार की चर्चा किसी कोर्ट के केस को

4/1120/12.2015.जेके/एजी/2

रैफर करके करेंगे तो। will not allow it. यह मेरा एक प्रण है। मैं अलाऊ नहीं करूगां।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैंने इतनी देर लगाकर अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आप दो नाटिसिज़ को कन्फ्यूज कर रहे हैं। नियम 67 का जो नोटिस हमारा था उसकी वर्डिंग अलग थी उसको आपने डिसअलाऊ किया। आपने कहा कि रवि जी का प्रस्ताव नियम 67 में ही है। उसको मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए भेजा है, उत्तर आने के बाद अलाऊ करूंगा या नहीं करूंगा, यह फैंसला तब करूंगा। दूसरे दिन आपने कहा कि रवि जी के नोटिस को मैं स्वीकार करता हूं परन्तु नियम 67 में नहीं बल्कि नियम 130 के अंतर्गत अलाऊ करता हूं। हम तो उस वर्डिंग के लिए आग्रह कर रहे हैं ,जो वर्डिंग उस प्रस्ताव में लिखी गई थी ,आप उसको मानिये। नियम 130 आपका हमने मान लिया ।

अध्यक्ष: आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ,मैंने यह कहा था और मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूं और ठीक कह रहा हूं। लेकिन जब मैंने इसका टैक्स्ट देखा, उसमें भ्रष्टाचार का जो शब्द था उसमें मैंने यह सोचा कि यह तो कोर्ट केसिज है इसलिए मैंने उसको नियम 296-। के अन्तर्गत अमैंड कर दिया under the powers given to me in the rules. मैंने उसको ठीक कर दिया।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे तो मत बदलिए। इसके बाद कौन अध्यक्षपीठ पर विश्वास करेगा? आपने कहा कि जब मैंने टैक्स्ट देखा, तो क्या आपने बिना टैक्स्ट देखे ही गवर्नमैंट को रैफर कर दिया था? बिना टैक्स्ट देखे ही क्या आपने नियम- 130 में चर्चा अलाऊ कर दी थी?

अध्यक्ष: मैंने नियम 67के टैक्स्ट को देखा है और गवर्नमैंट को भेजा है ।

4/1120/12.2015.जेके/एजी/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, 130का नोटिस हमने नहीं दिया। चाहे हमारे नोटिस में, चाहे रविन्द्र रवि का नोटिस था, वे नियम 67 के तहत ही थे। आपने कहा कि मैं उसको नियम 67 के अंतर्गत अलाऊ नहीं करता, मैं इसको 130 में अलाऊ कर रहा हूं तो इसका मतलब तो यह है कि इसको आप यथास्थिति अलाऊ कर रहे हैं।

अध्यक्ष: लेकिन जब मुझे ऐसा लगा ।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आपको ऐसा कब लगा?

अध्यक्ष: जब आपने रैज्योल्यूशन दिया उस वक्त लगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: नहीं, अध्यक्ष महोदय, माफ करें मगर यह आप गलत रूलिंग दे रहे हैं ।

अध्यक्ष: नहीं, यह गलत रूलिंग नहीं है।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर कहा कि आपकी व्यवस्था का माननीय सदन पूरा सम्मान करता है लेकिन जो आप खुद कह रहे हैं, उससे फिसल जाए तो इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

04.12.2015/1125/SS-AG/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, जो आप खुद कह रहे हैं उससे फिसल जाएं, यह पहली बार इतिहास बन रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सरकार को बचाने में क्यों लगे हुए हैं? जैसे नियम-67 के अन्तर्गत मेरा रैजोल्यूशन था आपने उसको नियम-130 में as it is convert किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आज के दिन में सरकार कटघरे में खड़ी है और मुख्य मंत्री जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। Time under British rule was better, यह मुख्य मंत्री जी 23 तारीख को कहते हैं। जिनको लोकतंत्र और भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है वे आज प्रदेश पर शासन कर रहे हैं। साथ में, अध्यक्ष महोदय, ये वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर ,जिसकी चार कम्पनियों में शेयर हैं --- (व्यवधान)---

Speaker: This is not to be recorded. ---(व्यवधान)--- जिसके लिए मैं कह रहा था आपने फिर वह विषय शुरू कर दिया। मैं कह रहा था कि ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो सब-ज्यूडिस हैं। जो केसिज़ कोर्ट में लगे हैं उनके बारे में आप यहां चर्चा न करें। आपने फिर वही विषय शुरू कर दिया है। ---(व्यवधान)---

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी, वह तीन-तीन बार बदल दी।

अध्यक्षः ये जो कह रहे हैं ये सब कोर्ट केसिज़ हैं। ये सब-ज्यूडिस हैं।

डॉ0 राजीव बिंदलः सर, आपकी कुर्सी जाने वाली नहीं है। आप किसी के दबाव में मत आईये।

अध्यक्ष: आप इसके बारे में फैसला करने वाले नहीं हैं। आप (डॉ0 राजीव बिंदल) बैठ जाईये। आप फैसला करने वाले नहीं हैं।

डॉ0 राजीव बिंदल: अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग बदली है। हम क्यों बैठेंगे? आपने पूरे सदन को धोखा दिया है।

04.12.2015/1125/SS-AG/2

अध्यक्ष: आप यहां पर कोर्ट के मामलों को नहीं उठा सकते। क्या आप चाहते हैं?

डॉ0 राजीव बिंदल: सर, हम चर्चा चाहते हैं। हमारा नियम-67 का नोटिस है हम उसके बारे में चर्चा चाहते हैं।

Speaker: I will not allow you. मैं आपको एलाऊ नहीं करूंगा। This is part of court case and the matter is *sub-judice*, मैं उसको एलाऊ नहीं करूंगा। ---(व्यवधान)---

Parliamentary Affairs Minister: If in the opinion of the Speaker any notice contains words, phrases or expression which are argumentative, un-parliamentary, ironical, irrelevant, verbose, or otherwise inappropriate, he may, in his discretion, amend such notice before it is circulated. अध्यक्ष को 296(1) में पूरी पावर है कि वे किसी भी मोशन को अमैंड कर सकते हैं। आपने अपने विवेक से मोशन को अमैंड किया है।

अध्यक्ष: देखिये, बात सुनिये। भारद्वाज जी ,आप सब एक मिनट बैठ जाईये। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। Please sit down. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। हाउस तो आपने चलाना है मैंने तो कंडक्ट करना है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने पहले भी कई बार कही हैं कि जिस टैक्स्ट में जिस बात के लिए आप इस रैजोल्यूशन को रख रहे हैं उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है भी और वह कोर्ट में है तो आप उसको यहां पर क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? I will not allow that. यहां पर सब-ज्यूडिस केसिज़ का कोई भी रैफरैंस नहीं होगा। No *sub-judice* case can be discussed here.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आप तो आज अन्तर्यामी हो गए। अभी चर्चा शुरू नहीं हुई और आपने अनुमान लगा लिया कि हम वे बातें कहेंगे जो कोर्ट में होंगी।

अध्यक्ष: बिल्कुल, आपके सदस्य कह रहे हैं और अखबार दिखा रहे हैं।

04.12.2015/1125/SS-AG/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: कोर्ट में क्या है? This matter is not in the court.

Speaker: This matter is in the court.

Prof. Prem Kumar Dhumal: No, no. It is not in the court.

Speaker: This matter is in the court.

Prof. Prem Kumar Dhumal: I challenge the Chair. It is not in the court.

अध्यक्ष: आप देखिये तो सही इसमें क्या है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामले नहीं हैं, हमने देखा है।

अध्यक्ष: आपके सदस्य कह रहे हैं कि इतना शेयर है यह कौन-सा मामला है?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोर्ट में नहीं है और आप subject to clarification उसको एलाऊ कर सकते हैं लेकिन आप ऐसे बिना सुने कैसे बोल देंगे। यह मामला बिल्कुल नया है। कोर्ट में गया नहीं है।

अध्यक्ष: जब रवि जी बोलने लगे थे तभी मैंने कह दिया था कि आप कोर्ट केसिज़ के बारे में मामला नहीं उठायेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा नहीं है...

जारी श्रीमती के0एस0

04.12.2015/1130/**केएस/एस**/1

श्री प्रेम कुमार धमल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने देखा नहीं है । आप चर्चा उसी टॉपिक में अलाऊ करिए । यदि आपको लगेगा कि कहीं कोर्ट वाली बात है तो आप वेरिफाई कर लेना और उसको एक्सपंज कर लेना। आप अलाऊ ही नहीं करेंगें और बिना सुने ही बोल देंगें कि सबज्युडिस है, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष: जो रैज्योल्यूशन था मैं उसी पर अलाऊ करूंगा इसके अलावा और नहीं करूंगा ।

श्री प्रेम कुमार धूमल :ठीक है, जो रैज्योल्यूशन रवि जी ने दिया उसको पढ़िए और अलाऊ कर दीजिए।

अध्यक्ष: ठीक है, बताईए ये क्या पढ़ रहे हैं?

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा जो रैज्योल्यूशन है, मेरा निवेदन है कि आप इसको जरा गौर से सुन लें।

अध्यक्ष: इसको मैने अमैंड कर दिया है, इसको अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चर्चा की बात करिए। I have amended it. I have already amended it. Why should he say?

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अब हमको आपके ऊपर दया आ रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये आपको सिर्फ बदनाम करने पर तुले हुए हैं। सारे संसदीय कार्य

मंत्री मिलकर जो रूलिंग आपने दी उसको इन्होंने कांट-छांट कर ठीक करवा दिया। पहली तारीख को आपकी क्या रूलिंग थी? अब ये उसकी कांट-छांट करवा रहे हैं।

अध्यक्ष: जो मैंने रूलिंग दी है वह ठीक है और उसी पर चर्चा होगी।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, पहली दिसम्बर को जो आपकी रूलिंग आई है, उसके ऊपर हमें चर्चा अलाऊ की जाए और जो मैं आज यहां बता रहा हूं इसका कोर्ट के साथ, सी.बी.आई., ई.डी. के साथ कोई लेना देना नहीं है।

04.12.2015/1130/**केएस/एस**/2

अध्यक्ष: तो यह क्या है?

श्री रविन्द्र सिंह: यह जो भी है, आप हमें अलाऊ करें, हम इस पर चर्चा करेंगें।

अध्यक्ष: आप चर्चा तो करिए।

श्री रविन्द्र सिंह: ठीक, है। मैं चर्चा शुरू करता हूं। -----(व्यवधान)----

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नकाल चल रहा है।---(व्यवधान)-----

अध्यक्ष: कृपया आप सभी बैठ जाईए। अभी प्रश्नकाल होने दीजिए।-----(व्यवधान)-पहले प्रश्न काल होगा उसके बाद चर्चा होगी तब आपने इस पर बोल लेना। कृपया अभी बैठ जाएं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ के समीप आकर नारेबाज़ी करने लगे)

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

4.12.2015/1135/av/as/1

(पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्ष : जारी ----------

क्या आप चर्चा नहीं करेंगे? (---व्यवधान---) क्या आज आप चर्चा नहीं करेंगे? बैठिए, प्लीज। आप बैठ जाइए। मेरी बात सुनिए। (---व्यवधान---) चर्चा आपकी है, आप बोल लेना। आपको बोलने के लिए मना नहीं है। (---व्यवधान---) आप बाद में बोल लेना। (---व्यवधान---) आप बैठिए तो सही। (---व्यवधान---) एक मिनट, आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) मैंने कहा है कि आप इस पर चर्चा कीजिए। (---व्यवधान---) आप बैठ जाइए, प्लीज।

I adjourn the House *sine die.*

Dharamsala - 176215 **Sunder Singh Verma,**
Dated: 04.12.2015 **Secretary.**